

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या-34 / VIII-1 / 23-06(श्रम) / 2020
देहरादून: दिनांक 27 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 (अधिनियम सं० 30 वर्ष 1979) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को संशोधित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा की शर्त)]
(संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा की शर्त)] (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगी।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा की शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ -1 में दिए गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

3. अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया :

(1) किसी अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-1 में तीन प्रतियों में मुख्य नियोजक या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा उस क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण हेतु चाहा गया अधिष्ठान अवस्थित है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3. अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया :

(1) प्रत्येक मुख्य नियोजक, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेख सहित जैसा कि पोर्टल / संगत नियमों में अपेक्षित हो, ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन/आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पंजीयन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा।

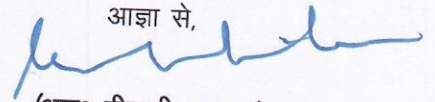
(2) आवेदन के साथ एक कार्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट/कोषागार चालान संलग्न किया जाएगा जिसमें अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान दर्शाया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ एक कार्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट/ कोषागार चालान संलग्न किया जाएगा जिसमें अधिष्ठान के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान दर्शाया जाएगा।

(3) आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से मुख्य नियोजक द्वारा या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा पंजीकरण अधिकारी को किया जाएगा या उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(4) आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण अधिकारी उस पर आवेदन की प्राप्ति की तिथि को दर्ज करने के उपरान्त आवेदक को एक पावती देगा।

आज्ञा से,



(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

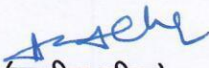
श्रम अनुभाग

संख्या: 38 / VIII / 23-06(श्रम) / 2020
देहरादून, दिनांक: 27 फरवरी, 2023

अधिसूचना संख्या- 34 / VIII-1 / 23-06(श्रम) / 2020, दिनांक 27 फरवरी, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा की शर्तों)] (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 5- अपर/संयुक्त/उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामनगर, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए, उसकी 50-50 प्रतियां शासन एवं श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(स्वनीत चीमा)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India ' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.34 / VIII 1 / 23-06 (labour) / 2020 dated :27 February,2023 for general information .

Uttarakhand Government
Labour Section
No.34 / VIII-1 / 23-06 (Labour) / 2020
Dehradun :27 February,2023

NOTIFICATION

in exercise of the powers conferred in sub - section (1) of section 35 of Interstate Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act , 1979 the governor hereby makes the following rules further, to amend the Uttar Pradesh Interstate Migrant Worker (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rule , 1983(As applicable in uttarakhand), namely:-

The Uttarakhand {Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services)} (Amendment) Rules , 2023 .

Short title , extent and commencement .

1. These rules may be called the Uttarakhand {Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) } (Amendment) Rules , 2023 .

(2) It shall extends to the whole of Uttrakhand .

(3) It shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette .

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rules , 1983 (As applicable to the State of Uttarakhand) for the existing rule 3 set out in column - 1 below the rule as set out in colum - 2 shall be substituted , namely:-

Colome – 1
Existing Rule

3 Manner of making Application for Registration of Establishment . –

- (1) The application for registration of an establishment shall be made in triplicate in Form I by the principal employer or his duly authorized agent to the Registering Officer of the area in which the establishment sought to be registered is located.

Colome - 2

Rules hereby substituted

3 Manner of making Application for Registration of Establishment . –

- (1) Every Chief Employer shall upload the application in online format on the official portal of Labor Department, Government of Uttarakhand along with proof of pre-determined fee along with relevant records as required in the portal/relevant rules and if the decision on the application/ registration is not taken by concerned authority within 20 days from the date of application, then registration will be deemed to be automatically accepted.



(2) The application shall be accompanied by a crossed demand draft / treasury challan showing payment of the fees for the registration of the establishment .

(3) The application shall either personally delivered to the Registering Officer by the principal employer or by his duly authorized agent or sent to him by registered post .

(4) On receipt of the application , the Registering Officer shall , after noting there on the date of receipt by him of the application, give an acknowledgement to the applicant .

(2) The application shall be accompanied by a crossed demand draft / treasury challan showing payment of the fees for the registration of the establishment.



By Order ,



(R.Meenakshi Sundram)

Secretary.